306/2025

02.04.2026

विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री अर्जुनराम प्रजापत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर पत्रावली आज तलब की गई।

एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.02.2026 को अपास्त पर बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मुझे बतौर विप्रार्थीगण संख्या 1 संस्थित किया गया है। कि उक्त अनवान के प्रकरण में श्रीमानजी के न्यायालय से जारी समन विप्रार्थीगण संख्या 1 को प्राप्त नहीं हुआ इस कारण उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी जिससे विप्रार्थीगण संख्या 1 न्यायालय में हाजीर नहीं हो सका। बिना विधिवत तामील समन के भी विप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध विधिविरूद्ध तरीके से दिनांक 25.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल दरामद के आदेश जारी कर दिये गये। कि उक्त तरीके से विप्रार्थीगण संख्या 1 को प्रकरण के सम्बन्ध में सुचना दिये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये है जबकि विप्रार्थीगण संख्या 1 को कानूनी रूप से सुनवाई अवसर देय था। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है जब वाद में अन्तर्विलित प्रश्न हिस्से की घोषण से सम्बन्धि है तब विप्रार्थीगण संख्या 1 को सुनवाई का अवसर से वचित रखकर एवं संघर्षपूर्ण तरीके से अवसर दिया जाना न्यायोचित है एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धात भी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के समुचित अवसर दिये जाने की वकालत करता है। कि अब पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से सहमति बनने की स्थिति मे आलौच्य आदेश मे प्रस्तावित रास्ता के स्थान आपसी सहमति से विप्रार्थी के खसरा संख्या 759 ग्राम भाम्भुओ की ढाणी तहसील सिणधरी मे से परिशिष्ठ "ब" के अनुसार रास्ता देने की सहमति बनी है, इसलिए न्याय हित मे पक्षकारान के राजीनामा के अनुरूप पुन आदेश पारित करने के लिए पुर्ववर्ती आदेश दिनांक 25.02.2026 को अपास्त कर सहमति के अनुरूप पुन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। साथ ही अपने मौखिक अभिकथनों बताया कि खेत खसरा संख्या 759 में भी विप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार है तथा पूर्व में पारित प्रतिफल राशि के अंश का प्रत्येक सहखातेदार आपसी सहमति से अपना–अपना प्रतिफल सहमतिपर्वूक बांट लेगें, जिसके लिए किसी सहखातेदार को कोई उजर एतराज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकर कर विप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.02.2026 को अपास्त कर विप्रार्थीगण संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमाते हुए पुनः संशोधित आदेश पारित किया जावे।

इसके साथ ही खेत खसरा संख्या 759 के अन्य सहखातेदार की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए अपने मौखिक अभिकथनों में भी विप्रार्थी सं. 1 के तथ्यों को स्वीकार करते हुए परिशिष्ट–ब अनुसार रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में दुस्रूस्ती किये जाने में सहमति व्यक्त की गई।

हमनें उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करते हुए असल तलब पत्रावली का अद्यतन में पाया गया कि धारा 251ए अन्तर्गत रास्ते के तहत दायर प्रकरण में पक्षकारान की जरिये नोटिस तलबी की जाकर उन्हें विधिवत सुनवाई हेतु पक्ष रखे जाने हेतु सूचित किया गया। बाद सुनवाई में अनुपस्थित पक्षकारो के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के निर्णय दिनांक 25.02.2026 के जरिये जरिये प्रतिफल रास्ते के रूप में अमलदारामद किये जाने के आदेश पारीत किये गये। जहां तक विप्रार्थी वकील की दलील है कि वो आवेदन में हितबद्व पक्षकार होने से उन्हे भी अपना पक्ष रखे जाने हेतु सुना जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

उपखण्ड अधिकारी

306/2025

न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के कथनानुसार मौके पर रास्ते के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से रास्ते में आशिंक परिवर्तन (सलंग्न परिशिष्ट–ब) के अनुसार खसरा संख्या 760/1 के लम्बवत खसरा संख्या 759 जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा विप्राथी सं. 1 भी खसरा संख्या 759 का सहखातेदार है में से दिया जाना प्रस्तावित किया है। जहां तक विप्रार्थी वकील की दलील है कि उनके द्वारा सहमति से रास्ते हेतु खसरा संख्या 760/1 के आशिंक भाग जो परिशिष्ट–ब अनुसार खसरा संख्या 759 से दिया जा रहा है तथा उसके बदले प्राप्त प्रतिफल की राशि का सहमतिपूर्वक सहखातेदार बांट लेगे, तो ऐसी स्थिति में जब पक्षकार स्वयं के स्तर से जरिये राजीनामा के प्रतिफल राशि का वितरण करने एवं पूर्व में कटाण रास्ते की भूमि खसरा संख्या 760/1 में आशिंक परिवर्तन के खसरा संख्या 759 जो कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है, मे से सहमतिपूर्वक अपनी रजा से देने को तैयार हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस प्रार्थना पत्र के जरिये पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की बजाय पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 में आशिंक संशोधन किया जाना अदालत उचित समझती है।

लिहाजा विप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारान की आपसी राजीनामा एवं उस पर मौखिक सहमति को ध्यान में रखते हुए खसरा संख्या 760/1 में से सड़क मार्ग से लगती हुई सीमा से उसके अग्र भाग के स्थान पर लम्बवत खसरा संख्या 759 में सलंग्न परिशिष्ट–ब में प्रदर्शित (बरंग पहाड़ी) अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि को संशोधित करने की अनुमति के जरिये राजस्व रेकर्ड में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 की पालना के साथ–साथ उक्तानुसार संशोधित दुरूस्तीकरण किये जाने के आदेश तहसीलदार सिणधरी को दिये जाते है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट–ब आदेश दिनांक 25.02.2026 का आंशिक रूप से सलंग्नक अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी पूर्व में पारित निर्णय की पालना में परिशिष्ट अ के साथ–साथ परिशिष्ट ब के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में दुरूस्तीकरण के अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करे। शेष निर्देश एवं शर्ते पूर्ववत आदेश दिनांक 25.02.2026 के यथावत रहेगें।

पत्रावली पुनः उसी नम्बर पर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी